

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप. प्रक. क्र.-930 / 2010
संस्थित दिनांक-07.12.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोजन

विरुद्ध

1. महेन्द्र पिता सुन्दरलाल कोरी, उम्र 62 साल, जाति मोची,
साकिन मानेगांव थाना बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. जसवंत उर्फ यशवंत, पिता मुरारी कोरी, उम्र 28 साल, जाति मोची,
साकिन मानेगांव थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.) **(फरार घोषित)**

..... आरोपीगण

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 21/08/2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 506(भाग-1) का आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक 16.11.2010 दिन 03:00 बजे बस स्टेण्ड मण्डई में सार्वजनिक स्थान पर फरियादी महेश को माँ-बहन की अश्लील गाली उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं आरोपीगण ने सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी महेश को लकड़ी और लोहे की राड से मारकर स्वैच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी महेश को संत्रास कारित करने के आशय से देख लेने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी महेश ने दिनांक 16.11.2010 को आरक्षी केन्द्र बिरसा में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि वह जूते-चप्पल का व्यवसाय करता है। दिनांक 16.11.2010 को बाजार में जूते-चप्पल की दुकान लगाई थी और बाजू में महेन्द्र और यशवंत ने दुकान लगाई थी। उसकी दुकान पर एक लड़की चप्पल सिलवाने आई तो वह दस रुपये में चप्पल सिल रहा था। महेन्द्र ने बोला कि वह पांच रुपये में सिल देगा तो उसने बोला कि ग्राहक को क्यों वहकता है तो महेन्द्र ने उसे माँ-बहन की गन्दी-गन्दी गालिया दी। उसने महेन्द्र को गाली देने से मना किया तो यशवंत आया और उसे लात-घुसे से मारने लगा और महेन्द्र ने भी लोहे की राड से उसे मारा। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र बिरसा में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-131/2010 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506बी, 34 भा.दं.वि. के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323, 506बी, 34 के अन्तर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

(03) आरोपी महेन्द्र को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323/34, 506 (भाग-1) का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी महेन्द्र ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी महेन्द्र का बचाव है कि वह निर्दोष हैं, उसे झूठा फंसाया गया है।

(05) आरोपी महेन्द्र के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी महेन्द्र ने दिनांक 16.11.2010 दिन 03:00 बजे बस स्टेण्ड मण्डई में सार्वजनिक स्थान पर फरियादी महेश को माँ-बहन की अश्लील गाली उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

(ब) क्या आरोपी महेन्द्र ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर सह आरोपी के साथ मिलकर फरियादी महेश को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत महेश लकड़ी व लोहे की राड से बांयी जांघ पर सिर में मारकर स्वैच्छया उपहति कारित की ?

(स) क्या आरोपी महेन्द्र ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी महेश को संत्रास कारित करने के आशय से देख लेने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ', 'ब', एवं 'स', :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ', 'ब', एवं 'स', का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादी महेश तरवरे (अ.सा.01) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग 06 माह पुरानी दिन के 02:00 बजे ग्राम मण्डई उसकी दुकान की है। उसके पास ग्राहक आया तो उसने उसका काम पन्द्रह रुपये में

करने को कहा। आरोपी दस रूपये में कर दूंगा कहकर उसके ग्राहक को बुलाकर ले गया। उसने आरोपी महेन्द्र से कहा कि वह उसके ग्राहक को क्यों बुलाकर ले जा रहा है तो आरोपी ने उसे माँ-बहन की अश्लील गालियाँ दी। आरोपी का रिश्तेदार वहां बैठा था तो उसने उसे लाठी से जॉघ पर मारा और आरोपी महेन्द्र ने सिर पर लोहे की राड से मारा। आरोपी के विरुद्ध उसने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया था, जो प्रदर्श पी-02 है।

(08) फरियादी के कथनों को समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी गंगोत्रीबाई (अ.सा.02) का भी कहना है कि उसका लड़का महेश मण्डई में अपनी दुकान लगाना चाहता था। आरोपी महेन्द्र दुकान नहीं लगाने देता था और जो ग्राहक आता उसे बहकाता था। उसके लड़के महेश को आरोपी महेन्द्र ने लोहे की राड से सिर में मार दिया था। इसी प्रकार महेन्द्र कुमार (अ.सा.04) का भी कहना है कि मण्डई बाजार में फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य विवाद हुआ था। आरोपी महेन्द्र ने महेश को लोहे की राड से एवं यशवंत ने महेश को लकड़ी से मारा था, जिससे महेश के सिर में चोट आई थी।

(09) अभियोजन साक्षी छत्तर (अ.सा.05) का भी कहना है कि मण्डई बाजार में आरोपीगण एवं फरियादी के मध्य विवाद हुआ था इसी प्रकार अभियोजन साक्षी अनिल अ.सा.06 का कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी गर्मी के समय दोपहर के समय की है। आरोपीगण की दुकान और उसकी दुकान पर हल्ला होकर भीड़ एकत्रित हो गई थी।

(10) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए सुरेश विजयवार (अ.सा.07) का कहना है कि उसने दिनांक 16.11.2010 को आरक्षी केन्द्र बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुए अपराध क्रमांक 131/2010 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506बी, 34 की विवेचना हेतु दिनांक 17.11.2010 को घटनास्थल पर जाकर फरियादी की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 बनाया था। फरियादी महेश, साक्षी गंगोत्रीबाई, अनिल, छत्तरलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 03.12.2010 को आरोपी महेन्द्र से बांस का डण्डा एवं आरोपी यशवंत से भी एक बांस का डण्डा जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 एवं 5 बनाया था। आरोपी यशवंत एवं महेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 एवं 7 बनाया था।

(11) अभियोजन साक्षी डॉ. एम.मेश्राम (अ.सा.03) का भी कहना है कि उसने दिनांक 16.11.2010 को आहत महेश के मेडिकल परीक्षण में सिर के पीछे एवं पैर पर कटी-फटी चोट होना पाया था तथा उक्त चोट कड़े एवं बोथरी वस्तु से आना पाया था। आहत को आई चोट उसने परीक्षण के 06 घंटे की अवधि के अंदर की होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-03 है।

(12) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि वह निदोष है उसे

झूठा फंसाया गया है। फरियादी ने पुलिस ने मिलकर रंजिशवश झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया व असत्य कथन न्यायालय में किये हैं। अभियोजन का प्रकरण संदेहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(13) आरोपी महेन्द्र एवं आरोपी महेन्द्र के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(14) अभियोजन साक्षी / फरियादी महेश तरवरे (अ.सा.01) ने स्पष्ट कथन किये हैं कि घटना उसके कथन से लगभग 06 माह पुरानी दिन के 02:00 बजे ग्राम मण्डई उसकी दुकान की है। उसके पास ग्राहक आया तो उसने उसका काम पन्द्रह रुपये में करने को कहा। आरोपी दस रुपये में कर दूंगा कहकर उसके ग्राहक को बुलाकर ले गया। उसने आरोपी महेन्द्र से कहा कि वह उसके ग्राहक को क्यों बुलाकर ले जा रहा है तो आरोपी ने उसे माँ-बहन की अश्लील गालियाँ दी। आरोपी का रिश्तेदार वहां बैठा था तो उसने उसे लाठी से जॉघ पर मारा और आरोपी महेन्द्र ने सिर पर लोहे की राड से मारा। आरोपी के विरुद्ध उसने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया था, जो प्रदर्श पी-02 है। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(15) फरियादी के कथनों को समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी गंगोत्रीबाई (अ.सा.02) ने भी स्पष्ट कथन किये हैं कि उसका लड़का महेश मण्डई में अपनी दुकान लगाना चाहता था। आरोपी महेन्द्र दुकान नहीं लगाने देता था और जो ग्राहक आता उसे बहकाता था। उसके लड़के महेश को आरोपी महेन्द्र ने लोहे की राड से सिर में मार दिया था। इसी प्रकार महेन्द्र कुमार (अ.सा.04) का भी कहना है कि मण्डई बाजार में फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य विवाद हुआ था। आरोपी महेन्द्र ने महेश को लोहे की राड से एवं यशवंत ने महेश को लकड़ी से मारा था, जिससे महेश के सिर में चोट आई थी। साक्षीगण के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षीगण के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(16) अभियोजन साक्षी छत्तर (अ.सा.05) का भी कहना है कि मण्डई बाजार में आरोपीगण एवं फरियादी के मध्य विवाद हुआ था इसी प्रकार अभियोजन साक्षी अनिल (अ.सा.06) का कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी गर्मी के समय दोपहर के समय की है। आरोपीगण की दुकान और उसकी दुकान पर हल्ला होकर भीड़ एकत्रित हो गई थी। इन साक्षीगण के कथनों से भी घटना की आंशिक पुष्टि होती है।

(17) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए सुरेश विजयवार (अ.सा.07) ने स्पष्ट कथन किये हैं कि उसने दिनांक 16.11.2010 को आरक्षी केन्द्र बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुए अपराध क्रमांक 131 / 2010 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506बी, 34 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। दिनांक 17.11.2010 को घटनास्थल पर

जाकर फरियादी की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 बनाया था। फरियादी महेश, साक्षी गंगोत्रीबाई, अनिल, छत्तरलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 03.12.2010 को आरोपी महेन्द्र से बांस का डण्डा एवं आरोपी यशवंत से भी एक बांस का डण्डा जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 एवं 5 बनाया था। आरोपी यशवंत एवं महेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 एवं 7 बनाया था। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये। साक्षी के कथनों से घटना होने की पुष्टि होती है।

(18) अभियोजन साक्षी डॉ. एम.मेश्राम (अ.सा.03) ने भी स्पष्ट कथन किये हैं कि उसने दिनांक 16.11.2010 को आहत महेश के मेडिकल परीक्षण में सिर के पीछे एवं पैर पर कटी-फटी चोट होना पाया था तथा उक्त चोट कड़े एवं बोथरी वस्तु से आना पाया था। आहत को आई चोट उसने परीक्षण के 06 घंटे की अवधि के अंदर की होना पाया था। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये। साक्षी के कथनों से आहत को उपहति होने की पुष्टि होती है।

(19) अभियोजन साक्षी/फरियादी महेश तरवरे (अ.सा.01) एवं साक्षी गंगोत्रीबाई (अ.सा.02), महेन्द्र कुमार (अ.सा.04), विवेचनाकर्ता सुरेश विजयवार (अ.सा.07) तथा डॉक्टर एम.मेश्राम (अ.सा.03) के कथनों में गम्भीर विराधोभास नहीं आया है और नहीं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों का भी प्रतिपरीक्षण में खंडन हुआ है, जिससे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(20) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि फरियादी ने रंजिशवंश झूठी रिपोर्ट कर असत्य कथन कर उसे फंसाया है। किन्तु इस संबंध में आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता ने ऐसी कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे प्रतीत होता है कि आरोपी को फरियादी ने रंजिशवंश झूठी रिपोर्ट कर फंसाया है।

(21) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी महेन्द्र ने दिनांक 16.11.2010 दिन 03:00 बजे बस स्टेण्ड मण्डई में सार्वजनिक स्थान पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी महेश को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में महेश को लकड़ी और लोहे की राड से मारकर स्वैच्छया उपहति कारित की। किन्तु अभियोजन यह युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी महेन्द्र ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी महेश को माँ-बहन की अश्लील गाली उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी महेश को संत्रास कारित करने के आशय से देख लेने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

(22) परिणाम स्वरूप आरोपी महेन्द्र को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506 (भाग-1) के आरोप में दोषसिद्ध न पाते दोषमुक्त किया जाता है एवं भारतीय

दण्ड संहिता की धारा 323/34 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(23) प्रकरण में आरोपी महेन्द्र पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। आरोपी महेन्द्र को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

(24) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

पुनश्च :—

(25) दण्ड के प्रश्न पर आरोपी महेन्द्र एवं आरोपी श्यामलाल के अधिवक्ता को सुना गया।

(26) आरोपी महेन्द्र के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी महेन्द्र का यह प्रथम अपराध है। आरोपी महेन्द्र की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी महेन्द्र मजदूर पेशा व्यक्ति है। यदि उसे कारावास से दण्डित किया जाता है तो उसको तथा उसके परिवार को काफी कठनाईयों को सामना करना पड़ेगा तथा उसका परिवार भूखे मर जायेगा। अतः आरोपी महेन्द्र को कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित किया जावे।

(27) आरोपी महेन्द्र के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।

(28) प्रकरण का अवलोकन किया गया।

(29) आरोपी महेन्द्र की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, किन्तु आरोपी महेन्द्र द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी महेन्द्र को कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। अतः आरोपी महेन्द्र द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी महेन्द्र को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323/34 के आरोप में 1000/—(एक हजार) रुपये एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी महेन्द्र को एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई

जावे।

(30) आरोपी महेन्द्र द्वारा निराध में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रावधानों के अनुरूप निरोध की अवधि का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

(31) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक लोहे की राड एवं एक बांस का डण्डा आरोपी जशवंत उर्फ यशवंत के फरार होने से उक्त सामग्री सुरक्षित रखी जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

(32) निर्णय की एक प्रति आरोपी महेन्द्र को निःशुल्क दी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)